प्रशिक्षित युवा कौशल भारत लक्ष्य हमारा

Krishna Nagar Deoria Khas NCVT CODE- PU09001651 VPPUP CODE- 1809
Deoria UP- 274001
Email- deoriaitc@gmail.com Website- www.deoriapvtiti.com / DeoriaPvtITI

पत्रांक __________ दिनांक – 14/08/2021

सूचना

समस्त प्रशिक्षुओं व अनुदेशकों को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या- 2424/ 89-1009/ 300 / 2021 के आदेशानुसार सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 16/08/2021 से भौतिक रूप से खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। अतः सभी प्रशिक्षु व अनुदेशक अपने पूर्व समयानुसार (9:30 से आरती) निम्न शर्तो के साथ संस्थान में उपस्थित होंगे।

1. सभी प्रशिक्षु व अनुदेशक मास्क अनिवार्य रूप से पहने रहेंगे।
2. सभी प्रशिक्षु हैण्ड सैनेटाइजर का प्रयोग करेंगे।
3. किसी भी प्रशिक्षु को बुखार, जुकाम इत्यादि महसूस होने पर संस्थान के कोविड-19 हेल्प डेस्क को तुरंत सूचित करेंगे।

प्रधानाचार्य
देवरिया प्राइवेट आई0 टी0 आई0,
देवरिया खास, देवरिया

सूचनार्थ प्रेषित
1. समस्त अनुदेशक व विभागाध्यक्ष
2. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु
3. मोबाइल एप्प , व्हाट्स ग्रुप संस्थान के वेबसाइट पर इस आशय के साथ की सूचना समस्त प्रशिक्षुओं तक आसानी से पहुँच जाय।

संख्या–2424 / 89–1099 / 300 / 2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ:दिनाँक:13 अगस्त, 2021

विषयः– प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों को भौतिक रूप से संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–3366 / टी–2 / 1514 / कोविड–19 / औद्योगिक प्रशिक्षण / 2020, दिनांक 10.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों व कार्यक्रमों को भौतिक रूप से दिनांक 16.08.2021 अथवा 01.09.2021 से संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16.08.2021 से प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों व कार्यक्रमों को संचालित किए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1)– कोविड–19 गाइड लाइन का अनुपालन करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की साफ–सफाई व सैनिटाइजेशन नियमित रूप से कराते हुए हैण्ड वाशिंग की व्यवस्था, स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थी को मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं प्रशिक्षण कार्य में उचित सामाजिक दूरी आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(2)– जिला प्रशासन के सहयोग से संस्थान परिसर में ही टीकाकरण सत्र आयोजित कराए जाने की व्यवस्था की जाए तथा परिसर में साबुन व सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

3– कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आलोक कुमार) 13/8
सचिव।